भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3472
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय

3472. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;
(ख) विगत 10 वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत विधिक सहायता सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों का वर्ष और राज्यवार ब्यौरा तथा संख्या क्या है ;
(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत दायर मामलों की सफलता दर कितनी है तथा इसकी तुलना उन मामलों से किस प्रकार की जाती है जहां निजी विधिक प्रतिनिधित्त्व का उपयोग किया जाता है;
(घ) इन पहलों के अंतर्गत प्रदान किए गए विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;
(ङ) विगत पांच वर्षों में इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है तथा उनके प्रभाव की निगरानी के लिए क्या तंत्र है ; और
(च) क्या सरकार के पास इन योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इनका विस्तार या सुधार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले फायदाग्राहियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए। इसके अतिरिक्त, नाल्सा ने निवारक और रणनीतिक विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्कीमें भी विरचित की हैं, जिनका कार्यान्वयन विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, जिला और तालुका स्तर पर किया जाता है।

सरकार 250 करोड़ रुपये के परिव्यय पर, पांच वर्ष (2021-2026) की अवधि के लिए "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना" (दिशा) नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है। दिशा स्कीम का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवाएं) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विधिक सेवाओं की आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक-केंद्रित परिदान प्रदान करना है। दिशा स्कीम के अधीन, टेली-लॉ मोबाइल ऐप "टेली-लॉ" के माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़ता है और पूर्व-मुकदमेबाजी सलाह प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर देता है; न्याय बंधु (प्रो-बोनो सेवाएं) रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राहियों को न्यायालयों में प्रो-बोनो विधिक

प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने के लिए सशक्त किया जाता है। 28 फरवरी 2025 तक, दिशा स्कीम ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ फायदाग्राहियों को सम्मिलित किया है |

भारत सरकार एक अन्य केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रही है अर्थात; नालसा के माध्यम से विधिक सहायता रक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम । एलएडीसीएस स्कीम का उद्देश्य केवल एलएसए अधिनियम**, 1987** की धारा **12** के अधीन विधिक सहायता के लिए पात्र फायदाग्राहियों को दांडिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान करना है। एलएडीसीएस स्कीम का अनुमोदित वित्तीय परिव्यय **3** वर्ष (वित्त वर्ष **2023-24** से वित्त वर्ष **2025-26)** के लिए **998.43** करोड़ रुपये है। **30** दिसंबर **2024** तक**,** एलएडीसी कार्यालय देश भर के **654** जिलों में कार्यशील हैं और **3448** रक्षा परामर्शियों सहित **5251** कर्मचारिवृन्द नियोजित हैं। वर्ष **2024-25 (**दिसंबर**, 2024** तक) के दौरान**,** एलएडीसीएस कार्यालयों ने **3.95** लाख से अधिक दांडिक मामलों का निपटान किया है ।

पिछले दस वित्त वर्ष अर्थात **2015-16** से **2024-25 (**दिसंबर**, 2024** तक) के दौरान विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **उपाबंध-क** पर है। निजी विधिक प्रतिनिधित्व से संबंधित डाटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

नालसा ने 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम**, 2010**' विचित किया हैं**,** जो सभी स्तरों अर्थात भारत के उच्चतम न्यायालय**,** उच्च न्यायालयों**,** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) और तालुका विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) पर मानीटरी और परामर्श समिति (एमएमसी) की स्थापना के लिए उपबंध करता है ताकि न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं की गहन मॉनीटरी की जा सके और विधिक सहायता विषयों में मामलों की प्रगति की जा सके और पैनल वकीलों को गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं प्रदान करने में मार्गदर्शन और सलाह दी जा सके ।

सरकार द्वारा सहायता अनुदान मद के अंतर्गत निधियां वार्षिक आधार पर नालसा को आबंटित और जारी की जाती हैं। पिछले पांच वर्ष के दौरान नाल्सा को आबंटित और उसके द्वारा उपयोग किए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे निम्नानुसार है-

वित्त वर्ष	आबंटित निधियां (रु. करोड़ में)	उपयोग की गई निधियां (रु. करोड़ में)
2020-21	100	100
2021-22	145	145
2022-23	190	190
2023-24	200	200
2024-25	200	200

एलएडीसीएस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए**,** वर्ष **2023-24** और **2024-25** के दौरान नालसा को क्रमशः **200** करोड़ रुपये और **150** करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अतिरिक्त**,** दिशा स्कीम के लिए **171.15** करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं**,** जिनमें से **156.13** करोड़ रुपये का उपयोग अब तक किया जा चुका है।

विधिक सेवा प्राधिकारियों के कार्यनिष्पादन की मानीटरी करने के लिए**,** नालसा सभी एसएलएसए से मासिक कार्यकलाप रिपोर्ट प्राप्त करता है जिसमें किसी विशेष मास में किए गए सभी क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया जाता है। तत्पश्चात्**,** नाल्सा द्वारा मासिक आधार पर अंतिम कार्यकलाप रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है जिसकी समीक्षा की जाती है और उसे संकलित किया जाता है। मासिक कार्यकलाप रिपोर्टों के अलावा**,** नाल्सा सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।इसके अतिरिक्त**,**

विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यनिष्पादन को मानीटर करने के लिए नालसा द्वारा अखिल भारतीय और प्रादेशिक बैठकों का भी आयोजन किया जाता है। विद्यमान स्कीमों का विस्तार करना और उनमें सुधार लाना एक सतत प्रक्रिया है जो उनके कार्यान्वयन के दौरान साथ-साथ कार्यान्वित की जाती है।

******

उपाबंध-क

समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3472 जिसका उत्तर तारीख 21.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले दस वर्ष अर्थात् 2015-16 से 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	57	39	119	51	43	65	79	134	220	205
2	आंध्र प्रदेश	3526	5722	7896	4545	4396	4474	6371	9473	8265	7185
3	अरुणाचल प्रदेश	228	1172	3760	3752	3932	1984	2657	5559	5696	6371
4	असम	1083	4215	7033	8850	8002	10027	110254	38335	63749	60121
5	बिहार	4257	9411	36567	78273	60139	38653	1689158	209809	151413	64390
6	चंडीगढ़	1226	2131	2521	3768	2261	1242	1781	2653	2822	2207
7	छत्तीसगढ़	39829	38785	43165	67318	81713	26814	42394	44106	62164	59670
8	दादरा और नागर हवेली	1004	131	15	28	28	10	27	28	55	32
	दमण और दीव	16	9	16	0	0	0	17	24	34	70
9	दिल्ली	31535	35286	42683	53015	79458	82131	79055	96433	121882	56471
10	गोवा	1055	1214	1426	1612	3006	875	1101	2041	1558	1281
11	गुजरात	12817	12030	19885	21541	26887	8302	21953	32422	40569	36540
12	हरियाणा	9641	15811	18415	20326	19019	11059	23260	43098	76863	54796
13	हिमाचल प्रदेश	1611	2340	3634	4842	4368	2083	4806	5998	7346	4845
14	जम्मू - कश्मीर	1605	3294	1402	4022	4961	7675	8870	7992	11396	12611
15	झारखंड	4335	16007	79604	80640	30530	131691	649481	145217	269303	201453
16	कर्नाटक	3246	39878	53535	72621	145015	23211	32794	45663	53406	35209
17	केरल	14242	78021	97249	533259	71058	11242	16895	23418	36498	19579
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	93	2408	711	505	261
19	लक्षद्वीप	0	0	112	0	0	0	0	0	0	1
20	मध्य प्रदेश	48711	68227	140081	199129	268351	87843	3343800	191921	225510	189493
21	महाराष्ट्र	7225	7692	14219	21265	24060	12278	22595	36663	53756	42480

22	मणिपुर	107	10292	10208	19620	18257	56635	22651	26929	62635	66914
23	मेघालय	2342	2410	3802	3238	2914	2131	2346	2769	2371	1811
24	मिजोरम	4237	4741	8536	12716	9473	1670	3201	5038	4801	3228
25	नागालैंड	3981	8107	10749	38358	3691	4231	7750	7390	4603	3701
26	ओडिशा	3270	3768	7011	9695	8025	6029	8849	11880	19289	16243
27	पुडुचेरी	993	729	1176	1299	1295	309	884	788	621	469
28	पंजाब	12090	21153	31991	36131	127829	27096	36404	56448	60361	48984
29	राजस्थान	6112	15310	22002	14232	32413	12274	13833	13472	20290	16179
30	सिक्किम	1091	1073	982	960	928	702	986	1127	1074	693
31	तमिलनाडु	59633	44522	59668	40835	35552	26491	38181	49570	45180	39403
32	तेलंगाना	1772	2620	9051	18396	15145	3488	6712	12615	13193	11287
33	त्रिपुरा	2180	4972	9315	15089	13595	2156	2671	5055	9964	8339
34	उत्तर प्रदेश	8774	68367	46371	76852	60819	3545	132629	24890	29079	19026
35	उत्तराखंड	1112	1905	2756	2703	3018	2343	3775	5386	21339	22798
36	पश्चिमी बंगाल	16727	25305	25901	36235	41956	20906	29015	49714	62354	65454
	कुल	**311670**	**556689**	**822856**	**1505216**	**1212137**	**631758**	**6369643**	**1214769**	**1550164**	**1179800**

****